[2025] 6 एस.सी.आर. 545 : 2025 आईएनएससी 734

सौरभ कुमार त्रिपाठी

विरुद्ध

विधि रावल

(आपराधिक अपील क्रमांक 2688 /2025)

19 मई 2025

[अभय एस. ओका* तथा उज्ज्वल भुइयां, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग कर सकता है।

शीर्षबिंदु

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 – धारा 528 – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) – धारा 12 – घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 (भा.ना.सु.सं. की धारा 528) के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग − अनुज्ञेयताः

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट की न्यायालय में लंबित, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 (धारा 528, भा.ना.सु.सं.) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं - हालाँकि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालयों को धारा 12(1) के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए - सामान्यतः, धारा 482 के तहत हस्तक्षेप केवल घोर

---

* लेखक

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

अवैधता या अन्याय के मामले में ही उचित है - उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में यह दृष्टिकोण कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) से उद्भूत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक याचिका पोषणीय नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द - अपीलार्थियों द्वारा धारा 482, दं.प्र.सं. के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन को रद्द करने के लिए दायर याचिकाएं उच्च न्यायालय की फाइल में वापस कर दी गईं। [पैरा 39]

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) – धारा 12, 28 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 200 – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 – धारा 223 – धारा 12 के सन्दर्भ में दं.प्र.सं. की धारा 200 या भा.ना.सु.सं. की धारा 223 की योजना। [पैरा 18, 21] **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) – धारा 12 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 – धारा 528 – धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही की प्रकृति − धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करना:**

अभिनिर्धारित: अध्याय V की धारा 31 और 33 के रूप में दाण्डिक प्रावधानों के होते हुए भी, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही मुख्यतः दीवानी प्रकृति की होती है - उच्च न्यायालयों के निर्णय, जो यह मानते हैं कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अधिकारिता, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत किसी आवेदन की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपलब्ध नहीं है, मुख्यतः इस आधार पर आधारित हैं कि धारा 12(1) के तहत कार्यवाही मुख्यतः दीवानी प्रकृति की होती है - यह दृष्टिकोण सही नहीं है। [पैरा 28.1, 37]

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) – धारा 12 – धारा 482 के दो भाग – कौन सा भाग घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही पर लागू होता है – चर्चा की गई। [पैरा 31, 32]

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) – उद्देश्य – चर्चा की गई। [पैरा 12]

उद्धृत न्यायदृष्टांत

कुनापारेड्डी उर्फ नुकला शंका बालाजी विरुद्ध कुनापारेड्डी स्वर्ण कुमारी एवं अन्य **[2016] 2 एससीआर 608: (2016) 11 एससीसी 774;** *प्रभा त्यागी विरुद्ध कमलेश देवी* **[2022] 5 एससीआर 970: (2022) 8 एससीसी 90 – संदर्भित।**

देवेन्द्र अग्रवाल एवं 3 अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य; नंदकिशोर प्रल्हाद व्यवहारे विरुद्ध मंगला, **धारा 482 के तहत आवेदन क्रमांक 18994/2024** ; *राम लोटन विश्वकर्मा एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* **2025 एएचसी-एलकेओ 7572 – संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।

सांकेतिक शब्दों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता; घरेलू हिंसा से महिलाओं का

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005) की धारा 12 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करना; घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का उद्देश्य।

से उद्धृत मामला

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील क्रमांक 2688/2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के एमसीआरसी क्रमांक 52308/2022 में दिनांक 09.05.2024 के निर्णय एवं आदेश से

साथ में

आपराधिक अपील क्रमांक 2689/2025

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता:

विनय नावरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुलदीप राय, संदीप चावला, रंजन निखिल धरणीधर, करण कपूर, माणिक कपूर, सुश्री सृष्टि सिंगला, श्रेय कपूर.

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता:

अनुराग टंडन, पंकज ठक्कर, मनन शाह, सुश्री बानी खन्ना, रॉबिन सिंह, कपिल बलवानी, सुश्री तेजल नागौरी, रणजीत सिंह चौहान, योगेश यादव, रितेश पाटिल, सूर्य प्रताप देव।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/ आदेश

<u>निर्णय</u>

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति

1. अनुज्ञा प्रदान की गई।

2. अपीलों में सम्मिलित मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.') की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में, 'भा.ना.सु.सं.') की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005') की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए कर सकता है।

<u>तथ्यात्मक पहलू</u>

3. दोनों संबंधित अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस समान आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थियों द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था। एसएलपी (सीआरएल) 9493/2024 से उत्पन्न आपराधिक अपील में अपीलार्थी, सौरभ कुमार त्रिपाठी, प्रत्यर्थी के बहनोई हैं, जबकि एसएलपी (सीआरएल) 13896/2024 से उत्पन्न आपराधिक अपील में अपीलार्थी, प्रतीक त्रिपाठी, विवेकानंद तिवारी और मीरा तिवारी, क्रमशः प्रत्यर्थी के पति, ससुर और सास हैं। प्रतीक त्रिपाठी ने प्रत्यर्थी विधि रावल से 12 दिसंबर 2019 को देवास में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। शादी के दो साल बाद, 8 दिसंबर 2021 को, प्रत्यर्थी ने देवास के महिला थाना परामर्श केंद्र के थाना प्रभारी को प्रतीक त्रिपाठी और विवेकानंद तिवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा दहेज की मांग की गई थी। 7 जनवरी 2022 को, प्रत्यर्थी ने देवास के महिला

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

थाना में भा.दं.सं. की धारा 498ए, 504, 506 और 34 के तहत एफआईआर क्रमांक 3/2022 दर्ज कराई, जिसमें अपीलार्थियों पर दहेज न देने के कारण मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से काम से लौटने पर, अपीलार्थियों ने उसे प्रताड़ित किया और 20 लाख रुपये नकद और एक टॉप मॉडल एसयूवी कार की मांग की।

4. धमकियों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने 2 मार्च 2022 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास, मध्य प्रदेश के समक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत एमजेसीआर क्रमांक 215/2022 का एक आवेदन दायर किया। उसने दावा किया कि प्रतीक त्रिपाठी विदेश में रहते हुए उसे पीटता और घर से निकाल देता था। प्रत्यर्थी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के तहत प्रदान किए गए अनुतोष के लिए प्रार्थना की। अपीलार्थियों ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर कीं। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं के रद्द करने को इस आधार पर खारिज कर दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत कार्यवाही, एक दीवानी प्रकृति की होने के कारण, रद्द नहीं की जा सकती।

<u>प्रस्तुतियां</u>

अपीलार्थी

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया की विद्वान मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(झ) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट शब्द का अभिप्रेत दं.प्र.सं. के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट है। इसलिए, न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक आपराधिक न्यायालय है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि, यद्यपि धारा 26 के अनुसार सिविल न्यायालय या कुटुंब न्यायालय में धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के अंतर्गत उपचार प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की योजना को समझने के लिए धारा 26 को नहीं पढ़ा जा सकता है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा ध्यान दं.प्र.सं. के विभिन्न प्रावधानों की ओर आकर्षित किया, जहाँ न्यायालयों द्वारा दिए जा सकने वाले अनुतोष की प्रकृति, संक्षेप में, एक सिविल न्यायालय द्वारा दिए जा सकने वाले अनुतोष है। इसी प्रकार, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'सीपीसी' कहा जाएगा) के कुछ प्रावधानों की ओर भी ध्यान दिलाया, जहाँ सिविल न्यायालय द्वारा दिए जा सकने वाले अनुतोष आपराधिक कार्यवाहियों में भी दिए जा सकते है। इसलिए, विचारणीय प्रश्न का उत्तर कार्यवाही की प्रकृति या उन कार्यवाहियों में दिए जा सकने वाले अनुतोष की प्रकृति पर निर्भर नहीं है।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***देवेंद्र अग्रवाल एवं 3 अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य***[1] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय और ***नंदकिशोर प्रल्हाद व्यवहारे विरुद्ध मंगला***[2] मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया। इन मामलों में, उच्च न्यायालयों ने माना कि धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, पोषणीय है। यह बताना प्रासंगिक है कि ***देवेंद्र अग्रवाल एवं 3 अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*** मामले को ***राम लोटन विश्वकर्मा एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य***[3] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक वृहद पीठ को भेजा गया है।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया की चूँकि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत एक आवेदन, दं.प्र.सं. के अंतर्गत एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष पोषणीय है, इसलिए यह दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता के अंतर्गत आता है।

प्रत्यर्थी

10. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत कार्यवाही को दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत रद्द

---

1 धारा 482 के अंतर्गत आवेदन क्रमांक 18994/2024

2 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 923

3 2025 एएचसी-एलकेओ 7572

नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सही ही माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों और कारणों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि विधायिका का इरादा इसके तहत कार्यवाही को दीवानी प्रकृति का बनाना था। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के ***कुनापारेड्डी उर्फ नूकला शंका बालाजी विरुद्ध कुनापारेड्डी स्वर्ण कुमारी एवं अन्य***[4] मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही मुख्यतः दीवानी प्रकृति की होती है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक आवेदन, दं.प्र.सं. की धारा 2(घ) के तहत एक "परिवाद" नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि दं.प्र.सं. की धारा 200 से 204 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती हैं और एक मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन को दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत एक परिवाद नहीं मान सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक आवेदन पर प्रत्यर्थी को जारी की गई सूचना दं.प्र.सं. की धारा 61 के तहत एक समंस नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण नियम, 2006 (संक्षेप में, 'घरेलू हिंसा नियम 2006') के प्रपत्र VII में निर्धारित एक सूचना है। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया।

विचार

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधान

4 (2016) 11 एससीसी 774

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

12. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का उद्देश्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत उन महिलाओं के अधिकारों को और अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना था जो परिवार में किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 हमारे समाज में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में 'घरेलू हिंसा' शब्द को एक बहुत व्यापक अर्थ दिया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 3 इस प्रकार है:

> **"3. घरेलू हिंसा की परिभाषा** - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह.-
>
> (क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रकृति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है: या
>
> (ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है; या
>
> (ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है; या

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(i) "शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है,

(ii) लैंगिक दुरुपयोग से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है;

(iii) "मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं,-

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक के न होने के संबंध में अपमान या उपहासः और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है.

(iv) "आर्थिक दुरुपयोग" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या सहि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है,

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

किन्तु जो उन तक सीमित नहीं है, स्त्रीधन, व्यचित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना;

(ख) गृहस्थी की चीजवस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और उसके सदृश या अन्य संपत्ति का, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यधित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्य संक्रामणः और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पंहुच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्वन्धन ।

स्पष्टीकरण 2- यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन घरेलू हिंसा का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।"

13. यहां तक कि 'घरेलू नातेदारी' को भी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (च) के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"(च) "घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी

नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं"

13.1 धारा 2 के खंड (क) में व्यथित व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है"

14. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का अध्याय IV यह निर्धारित करता है कि घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य से व्यथित व्यक्ति को किस प्रकार के अनुतोष प्रदान किए जा सकते है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न प्रकार के अनुतोष प्रदान किए जा सकते है। ये अनुतोष घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन करके या किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या आपराधिक न्यायालय में व्यथित व्यक्ति को प्रभावित करने वाली लंबित कानूनी कार्यवाही में आवेदन करके प्राप्त की जा सकती हैं। ये अनुतोष धारा 17 से 22 में प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

"17. साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार - (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं।

(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय, कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

18. <u>संरक्षण आदेश</u> - मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसका प्रथमदृष्ट्या समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा तया प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध कर सकेगा,-

(क) घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना;

(ख) घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण करना;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या यदि व्यथित व्यक्ति बालक है, तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां व्यथित व्यक्ति बार-बार आता जाता है, प्रवेश करना;

(घ) व्यचित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी रूप में हो, इसके अंतर्गत वैयक्तिक, मौखिक या लिखित या इलैक्ट्रोनिक या दूरभाषीय संपर्क भी है।

(ङ) किन्हीं आस्तियों का अन्य संक्रामण करना; उन बैंक लाकरों या बैंक खातों का प्रचालन करना जिनका दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग या धारण या उपयोग, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्ततः या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उसका स्त्रीधन या अन्य कोई संपत्ति भी है, जो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्ततः या उनके द्वारा पृथक्तः धारित की हुई हैं;

(च) आश्रितों, अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है, के साथ हिंसा कारित करनाः

(छ) ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है।

19. <u>निवास आदेश</u> - (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा:-

(क) प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से, किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे, प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं;

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देनाः

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करनाः

(घ) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंकांत करने या व्ययनित करने या उसे विल्लंगमित करने मे अवरुद्ध करना,

(ङ) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना; या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साली गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करे, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना :

परंतु यह कि खंड (ख) के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति के, जो महिला है, विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा।

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

(2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किए जाने का निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से, एक बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के उन्मोचन से संबंधित वाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा।

(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है, निदेश कर सकेगा।

(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा।

20. <u>धनीय अनुतोष</u> - (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यचित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु वह निम्नलिखित तक की सीमित नहीं होगा-

(क) उपार्जनों की हानि;

(ख) चिकित्सीय व्ययों;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि; और

(घ) व्यथित व्यक्ति के साथ-साथ उसकी संतान, यदि कोई हों, के लिए भरण-पोषण, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष, पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवनस्तर से, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है, संगत होगा।

(3) मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियां, अपेक्षा करें, भरण-पोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेया देने की शक्ति होगी।

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

(4) मजिस्ट्रेट, आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस बाने के भारसाधक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(5) प्रत्यर्थी, उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यचित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश के निबंधनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर, मजिस्ट्रेट, प्रत्यर्थी के नियोजक या ऋणी को, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भूत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा।

21. अभिरक्षा आदेश - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यचित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा:

परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट संतान या संतानों के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इन्कार करेगा।

22. प्रतिकर आदेश - अन्य अनुतोष के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाएं, मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रत्यर्थी

को क्षतियों के लिए, जिसके अंतर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित हैं, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आदेश पारित कर सकेगा।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन

15. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 इस प्रकार है:

"12. **मजिस्ट्रेट को आवेदन** - (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए बाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है।

परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेष है तो ऐसी डिक्री के

अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निप्पादित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं या यथासंभव उसके निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा।"

16. 'मजिस्ट्रेट' शब्द को धारा 2(झ) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

(झ) "मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है:

17. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 में एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अध्याय IV में प्रदत्त एक या एक से अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 37 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, घरेलू हिंसा नियम, 2006 बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा नियम, 2006 के नियम

6(1) में प्रावधान है कि धारा 12 के तहत व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक आवेदन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र II में होगा।

18. जैसा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और विशेष रूप से धारा 12 की योजना से देखा जा सकता है, यह दं.प्र.सं. की धारा 200 या भा.ना.सु.सं. की धारा 223 के अंतर्गत परिवाद नहीं है। दं.प्र.सं. की धारा 200 के अंतर्गत परिवाद पर विचार करते समय, विद्वान मजिस्ट्रेट परिवाद में आरोपित अपराधों का यांत्रिक रूप से संज्ञान नहीं ले सकते। परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए, विद्वान मजिस्ट्रेट को परिवादकर्ता और साक्षियों, यदि कोई हो, से पूछताछ करनी आवश्यक है। विद्वान मजिस्ट्रेट के इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही कि आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मामला बनता है, एक आदेशिका जारी की जाती है और संज्ञान लिया जाता है। यह भा.ना.सु.सं. की धारा 223 के अंतर्गत परिवाद के संबंध में भी सत्य है। हालाँकि, भा.ना.सु.सं. की धारा 223(2) इसे एक कदम आगे ले जाती है। यह प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं लिया जा सकता।

19. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन के मामले में, जैसा कि उसकी उपधारा (4) में प्रावधान है, विद्वान मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख तय करने के लिए बाध्य है, जो सामान्यतः न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन से अधिक नहीं होगी। धारा 13(1) में प्रावधान है कि धारा 12 की उपधारा (4) के अनुसार तय की गई तारीख की सूचना प्रत्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति को उसमें निर्धारित तरीके से

दी जाएगी। घरेलू हिंसा नियम, 2006 का नियम 2, धारा 13(1) के अंतर्गत जारी सूचना की तामील के तरीके और साधन निर्धारित करता है।

20. हम यह भी ध्यान दें कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट को अंतरिम और एकपक्षीय आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

21. इसलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन को, दं.प्र.सं. की धारा 200 (भा.ना.सु.सं. की धारा 223) के अर्थ में परिवाद के समतुल्य नहीं माना जा सकता। धारा 12 की उप-धारा (4) सहपठित धारा 13 की उप-धारा (1) के अनुसार, सामान्य नियम यह है कि आवेदन पर सुनवाई की सूचना जारी कि जानी चाहिए। धारा 12 की योजना दं.प्र.सं की धारा 200 या भा.ना.सु.सं. की धारा 223 से बिल्कुल अलग है।

22. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 28 इस प्रकार है:

> "**28. <u>प्रक्रिया</u>** - (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन सभी कार्यवाहियां और धारा 31 के अधीन अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।
>
> (2) उपधारा (1) की कोई बात, धारा 12 के अधीन या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने से न्यायालय को निवारित नहीं करेगी।"

22.1 यह सत्य है कि धारा 12 और 23 के अंतर्गत आवेदन की कार्यवाही दं.प्र.सं. द्वारा शासित होती है। हालाँकि, धारा 28 की उप-धारा (2) न्यायालय को धारा 12 या धारा 23

की उप-धारा (2) के अंतर्गत आवेदन के निपटान हेतु अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की अधिभावी शक्ति प्रदान करती है।

धारा 12 के तहत आवेदन पर विचार करने की अधिकारिता

23. अब हम धारा 12 के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के मुद्दे पर आते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 27 अधिकारिता से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

> "**27. <u>अधिकारिता</u>** - (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर,
> (क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या
> (ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है, या
> (ग) हेतुक उद्भूत होता है,
> इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा।
> (2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा।"

(जोर दिया गया)

23.1 अतः, यथास्थिति प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदनों पर विचार करने

का अधिकार है, जैसा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (i) के साथ धारा 12 और 27 के प्रावधानों से देखा जा सकता है।

24. घरेलू हिंसा अधिनियम का एक और प्रावधान है जो अन्य न्यायालयों (धारा 27 में उल्लिखित न्यायालयों के अलावा) की घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अनुतोष प्रदान करने की शक्ति से संबंधित है, अर्थात धारा 26 जो इस प्रकार है:

> "**26. अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष** - (1) धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय या किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, मांगा जा सकेगा।
>
> (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष, किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ जिसकी व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही में वांछा करे, मांगा जा सकेगा।
>
> (3) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया गया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा।"

(जोर दिया गया)

24.1 इसलिए, किसी भी मामले में, व्यथित व्यक्ति को प्रभावित करने वाली सिविल न्यायालय या कुटुंब न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही में, धारा 18 से 22 के तहत अनुतोष माँगा जा सकता है। इसी प्रकार, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के अलावा किसी अन्य आपराधिक न्यायालय में, धारा 18 से 22 के तहत अनुतोष माँगा जा सकता है । उदाहरण के लिए, सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, ऐसा अनुतोष माँगा जा सकता है बशर्ते कार्यवाही व्यथित व्यक्ति को प्रभावित करती हो। यहाँ ध्यान दें कि धारा 26, धारा 27 में उल्लिखित न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन पर विचार करने की अधिकारिता प्रदान नहीं करती है। यह केवल इसमें उल्लिखित न्यायालयों को लंबित कानूनी कार्यवाही में धारा 18 से 22 के तहत अनुतोष प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

25. आगे बढ़ने से पहले, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि इन अपीलों में, हम अपना न्यायनिर्णयन इस प्रश्न तक सीमित रख रहे हैं कि क्या दं.प्र.सं की धारा 482 या भा.ना.सु.सं. की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 27 के अनुसार, विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर धारा 12(1) के तहत आवेदन से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है। हम ऐसी अन्य कानूनी कार्यवाहियों पर विचार नहीं कर रहे हैं जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 में निर्दिष्ट न्यायालयों में धारा 18 से 22 के तहत राहत मांगी जाती है।

आपराधिक न्यायालय

26. दं.प्र.सं के अंतर्गत, अध्याय II आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी भी महानगरीय क्षेत्र में, महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अनुसार आपराधिक न्यायालय हैं। इसलिए, महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें धारा 12 के तहत आवेदनों पर विचार करने और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत अनुतोष प्रदान करने का अधिकार है, आपराधिक न्यायालय हैं। इसी प्रकार, भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत, धारा 6 में प्रावधान है कि सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपराधिक न्यायालय हैं। भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत, महानगर मजिस्ट्रेटों की कोई श्रेणी नहीं है। इसलिए, परिवाद पर विचार करने का अधिकार दं.प्र.सं के तहत आपराधिक न्यायालय में निहित है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही की प्रकृति

27. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की प्रकृति पर भरोसा करने की कोशिश की। उन्होंने हमारा ध्यान ***कुनापारेड्डी उर्फ नूकला शंका बालाजी विरुद्ध कुनापारेड्डी स्वर्ण कुमारी एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर आकर्षित किया। उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 और 12 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं:

> **"11. हम मूल याचिका में प्रत्यर्थी 1 द्वारा की गई प्रार्थनाओं का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं और उसकी प्रार्थना अ धारा 9 से संबंधित है। हालाँकि,**

प्रार्थना ब में, प्रत्यर्थी 1 ने अपने और अपने बच्चों के लिए मासिक भरण-पोषण अनुदान का भी अनुतोष माँगा है। यह प्रार्थना घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के दायरे में आती है। वास्तव में, प्रार्थना अ धारा 18 के अंतर्गत आती है जो मजिस्ट्रेट को ऐसी सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार देती है जिसका दावा प्रत्यर्थी 1 द्वारा किया गया है। इसलिए, याचिका अनिवार्य रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 और 20 के अंतर्गत है, हालाँकि शीर्षक में इन प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है और, इसलिए, अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 और 20 के तहत दायर याचिका के संबंध में, कार्यवाही घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रदान की गई संहिता द्वारा शासित होगी। साथ ही, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है की ये कार्यवाहियां मुख्यतः सिविल प्रकृति की हैं।

12. वास्तव में, घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य एक ऐसा उपाय प्रदान करना था जो परिवादी यानी व्यथित व्यक्ति के सिविल अधिकारों का एक समामेलन हो। इसका उद्देश्य महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाना था, खासकर परिवार के भीतर होने वाली हिंसा से, क्योंकि सिविल कानून इस घटना को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है। इसे दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए के तहत एक अपराध माना जाता है। **इस कानून को लागू करने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाने के लिए सिविल कानून में एक उपाय प्रदान करना था और समाज में घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकना था।**

.. ..”

(जोर दिया गया)

सौरभ कुमार त्रिपाठी विरुद्ध विधि रावल

28. प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के ***प्रभा त्यागी विरुद्ध कमलेश देवी***[5] मामले में दिए गए निर्णय और विशेष रूप से पैराग्राफ 50 पर भी भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

> **"50. हमारे विचार में, घरेलू हिंसा अधिनियम नागरिक संहिता का एक भाग है जो भारत में प्रत्येक महिला पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धार्मिक संबद्धता और/या सामाजिक पृष्ठभूमि की हो ताकि संविधान द्वारा प्रदत्त उसके अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा हो और घरेलू संबंधों में होने वाली घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा हो सके।** इसलिए, "संयुक्त परिवार" का अर्थ हिंदू कानून में समझा जाने वाला अर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार, "संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य" का अर्थ है एक परिवार के रूप में संयुक्त रूप से रहने वाले सदस्य। ऐसी व्याख्या में, एक बालिका/बच्चों को भी, जिनकी पालक के रूप में देखभाल की जाती है, साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है और उन्हें घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है। जब ऐसी बालिका या महिला व्यथित व्यक्ति बन जाती है, तो धारा 17 की उप-धारा (2) का संरक्षण लागू होता है।
>
> (जोर दिया गया)

28.1 इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्याय V की धारा 31 और 33 के रूप में दंडात्मक प्रावधानों के होते हुए भी, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही मुख्यतः दीवानी प्रकृति की होती है।

दं.प्र.सं की धारा 482 और भा.ना.सु.सं. की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार है।

---
5 (2022) 8 एससीसी 90

29. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की योजना के अंतर्गत, धारा 18 से 23 में प्रदान किए गए अनुतोष किसी व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन पर प्रदान की जा सकती हैं। इस प्रकार, जब विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही को रद्द करने का प्रश्न उठता है, तो यह घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए होता है। हम धारा 12(1) के तहत किए गए आवेदन पर शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में दं.प्र.सं. की धारा 482 या भा.ना.सु.सं. की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता के मुद्दे की जांच कर रहे हैं। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन, दं.प्र.सं. की धारा 200 (भा.ना.सु.सं. की धारा 223) के अंतर्गत परिवाद से पूरी तरह भिन्न है।

30. अब, हम दं.प्र.सं. की धारा 482 की ओर मुड़ते हैं, जो इस प्रकार है:

> "**482. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति** - इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।"

30.1 धारा 482 में उल्लिखित शब्द 'न्यायालय' स्पष्ट रूप से दं.प्र.सं. की धारा 6 के अर्थ में एक आपराधिक न्यायालय है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी शामिल है।

31. धारा 482 के दो भाग हैं। दोनों भाग उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सुरक्षित रखते हैं। पहला भाग वहाँ लागू होता है जहाँ इस संहिता के अंतर्गत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब धारा 12(1) के अंतर्गत किसी आवेदन पर सूचना जारी की जाती है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट दं.प्र.सं. के अंतर्गत कोई आदेश पारित नहीं करता है। जब धारा 18 से 23 के अंतर्गत कोई भी अनुतोष देने वाले आदेश पारित किए जाते हैं, तो विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश दं.प्र.सं. के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए, धारा 482 का पहला भाग घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के अंतर्गत कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकता है।

32. धारा 482 का दूसरा भाग उच्च न्यायालय की किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की अंतर्निहित शक्ति को सुरक्षित रखता है। इसलिए, किसी दिए गए मामले में जहाँ एक विद्वान मजिस्ट्रेट धारा 12(1) के तहत किसी आवेदन पर विचार कर रहा है, उच्च न्यायालय धारा 482 के दूसरे भाग के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कर सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय धारा 12(1) के तहत किसी आवेदन की कार्यवाही या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18 से

23 के अनुसार पारित आदेशों को रद्द करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।

33. अब, प्रश्न यह है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कार्यवाही में धारा 482 के तहत हस्तक्षेप का दायरा क्या है। हमें घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत एक आवेदन के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही, जो मुख्यतः दीवानी प्रकृति की होती है, और किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने हेतु आपराधिक न्यायालय में की गई कार्यवाही के बीच अंतर करना होगा। आपराधिक कानून को लागू करने के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कानून लागू किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।

34. हम पहले ही घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख कर चुके हैं, जिन्हें इस न्यायालय के मामले ***कुनापारेड्डी उर्फ नूकल शंका बालाजी विरुद्ध कुनापारेड्डी स्वर्णा कुमारी एवं अन्य*** में दिए गए निर्णय में पुनः उद्धृत किया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाना और समाज में घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकना है। यह महिलाओं के अपने वैवाहिक घर या साझी गृहस्थी में रहने के अधिकार की रक्षा करना चाहता है। इसलिए, धारा 19 के तहत निवास आदेश पारित करने का प्रावधान है। धारा 18 में संरक्षण आदेश जारी करने का प्रावधान है, जो अनिवार्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कृत्यों को रोकने के लिए हैं। धारा 20 के तहत पारित किए जा सकने वाले आदेश घरेलू हिंसा के कारण महिला को

हुए नुकसान के प्रतिकर के उद्देश्य से हैं। बच्चों से संबंधित अभिरक्षा आदेश भी अनिवार्य रूप से घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हैं। यहाँ तक कि धारा 22 भी घरेलू हिंसा के कृत्यों से हुई चोटों, जिनमें मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट भी शामिल है, के लिए प्रतिकर आदेश पारित करने का प्रावधान करती है। यदि धारा 12(1) के तहत कोई परिवाद दर्ज किया जाता है, तो दोषी प्रत्यर्थी को दंड नहीं दिया जा सकता जैसा कि आपराधिक कानून में माना जाता है। धारा 18 से 23 के अनुसार, उस पर विभिन्न आदेश लागू हो सकते हैं। आवेदन में प्रत्यर्थी पर केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब वह किसी संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है। इसलिए, धारा 12(1) के तहत आवेदन पर विचार करने के परिणाम उतने कठोर नहीं हैं, जितने कि आपराधिक कानून लागू करने के परिणाम हैं। निस्संदेह, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत पारित किए जा सकने वाले आदेश भी बहुत कठोर हो सकते हैं, लेकिन धारा 12(1) के तहत कार्यवाही में, प्रत्यर्थी को आपराधिक मुकदमे की तरह कारावास या जुर्माना नहीं दिया जा सकता है।

35. जब धारा 12(1) के तहत आवेदन के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की बात आती है, तो उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एक कल्याणकारी कानून है, जो विशेष रूप से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। इसलिए, धारा 12(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को बहुत धीमा और सतर्क रहना चाहिए। हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब मामला स्पष्ट रूप से घोर अवैधता या कानून

की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का हो। सामान्यतः, धारा 12(1) के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत कार्यवाही से निपटने में उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप न करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक उच्च न्यायालय, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अधिकारिता के प्रयोग में संयम नहीं दिखाते, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को लागू करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

36. यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 29 के अंतर्गत सत्र न्यायालय में अपील का प्रावधान है। इसके विपरीत, सामान्यतः किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश या आदेशिका जारी करने की प्रक्रिया के विरुद्ध अपील का कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। यह एक और कारण है कि उच्च न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने की अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

37. उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत अधिकारिता, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के अंतर्गत किसी आवेदन की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ये निर्णय मुख्यतः इस आधार पर हैं कि धारा 12(1) के अंतर्गत कार्यवाही मुख्यतः दीवानी प्रकृति की होती है। यह विचार पूर्व में बताए गए कारणों से सही नहीं है।

38. इस निर्णय को समाप्त करने से पूर्व, हमें यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हम में से एक (न्यायमूर्ति अभय एस. ओका) बंबई उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका 2473/2016

में 27 अक्टूबर, 2016 को दिए गए निर्णय में एक पक्षकार हैं, जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत उपाय, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस दृष्टिकोण को गलत पाया। न्यायाधीश होने के नाते, हमारा कर्तव्य है कि हम उचित रूप से गठित कार्यवाही में अपनी गलतियों को सुधारें। न्यायाधीशों के लिए भी, सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है।

39. निष्कर्षतः, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में लिया गया यह दृष्टिकोण कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) से उत्पन्न कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक याचिका स्वीकार्य नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 482 (भा.ना.सु.सं. की धारा 528) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिसके तहत घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत आवेदन से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करने के लिए, जो विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है। हालाँकि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालयों को धारा 12(1) के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। सामान्यतः, धारा 482 के तहत हस्तक्षेप केवल घोर अवैधता या अन्याय के मामले में ही उचित है।

40. तदनुसार, हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 52308/2022 और 3363/2023 में पारित दिनांक 9 मई, 2024 के आदेश को निरस्त करते हैं और उक्त याचिकाओं को उच्च न्यायालय की फाइल में पुनः स्थापित करते हैं। पुनः

स्थापित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई की जाएगी और इस निर्णय में हमारे द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में उनका निपटारा किया जाएगा।

41. तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

मामले का परिणाम: अपीलें स्वीकार की जाती हैं।